रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27022021-225522
CG-DL-W-27022021-225522

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 07] नई दिल्ली, फरवरी 14 - फरवरी 20, 2021, शनिवार/ माघ 25 - फाल्गुन 1, 1942
No. 07] NEW DELHI, FEBRUARY 14 - FEBRUARY 20, 2021, SATURDAY/ MAGHA 25 -PHALGUNA 1, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी , 2021

सा.का.नि. 13.—परिवाद समिति के गठन संबंधी दिनांक 14.09.2020 की अधिसूचना सं. 7/52/2009-वीयू/जीएन-8988/2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री जे.वी.जी. रेड्डी, संयुक्त सचिव के स्थान पर श्री संतोष कुमार, निदेशक को समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है । अतः समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

(एक) श्रीमती सुमन अरोड़ा — पीठासीन अधिकारी
संयुक्त सचिव

(दो)	श्रीमती ममता केमवाल निदेशक	सदस्य
(तीन)	श्री संतोष कुमार निदेशक	सदस्य
(चार)	श्रीमती माया लिंगी निदेशक	सदस्य सचिव
(पांच)	श्रीमती अनुजा पेठिया अधिवक्ता	सदस्य

[फा. सं.7/52/2009-वी यू /जीएन-9092/2021]

श्रीनिवासुलु गुंडा,निदेशक

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 12th February, 2021

G.S.R. 13 .—In partial modification of Notification No. 7/52/2009-VU/GN-8988/2020 dated 14.09.2020 constituting the Complaints Committee,Shri Santosh Kumar, Director is nominated as a Member of the Committee in place of Shri J.V.G. Reddy, Joint Secretary. The composition of the Complaints Committee will therefore be as under :-

(i)	Smt. Suman Arora Joint Secretary	Presiding Officer
(ii)	Smt. Mamta Kemwal Director	Member
(iii)	Shri Santosh Kumar Director	Member
(iv)	Smt. Maya Lingi Director	Member-Secretary
(v)	Smt. Anuja Pethia Advocate	Member

[No.F.7/52/2009-VU/GN-9092/2021]

SRINIVASULU GUNDA, Director

मंत्रिमंडल सचिवालय

(राष्ट्रपति भवन)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रिमंडल सचिवालय फोटोस्टेट-सह-उपस्कर-प्रचालक समूह 'ग' पर भर्ती नियम 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में फोटोस्टेट-सह-उपस्कर प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय, फोटोस्टेट-सह-उपस्कर प्रचालक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ **(2)** से स्तंभ **(4)** में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से स्तंभ **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फोटोस्टेट-सह-उपस्कर प्रचालक	*01(2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	पुनर्नियोजन पर दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिएः प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नतिः

मंत्रिमंडल सचिवालय के ऐसे फोटोकॉपी आपरेटर जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन:

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो फोटोकॉपी मशीन के प्रचालन और अनुरक्षण में एक वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास मैट्रिकुलेशन अर्हताएं हें और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुर्ननियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग 'विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), मंत्रिमंडल सचिवालय -- अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), मंत्रिमंडल सचिवालय -- सदस्य 3. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई एक समूह 'क' अधिकारी -- सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/05/2019- प्रशा.-1]

इन्द्राणी गुप्ता,निदेशक

CABINET SECRETARIAT

(RASHTRAPATI BHAVAN)

New Delhi, the 9th February, 2021

G.S.R. 14 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Cabinet Secretariat Photostat-cum-Equipment Operator Group 'C' post Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Photostat-cum-Equipment Operator in the Cabinet Secretariat, namely: -

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat, Photostat-cum-Equipment Operator, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—**The method of recruitment to said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Photostat-cum-Equipment Operator.	* 01 (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', non -Gazetted, non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25,500 – 81,100).	Non – selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)
Not applicable	Two years on re–employment

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(10)
By promotion failing which by deputation/absorption. For Ex-servicemen: Deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(11)
Promotion : Photocopy Operator of Cabinet Secretariat with eight years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/Absorption :** Officers under the Central Government ,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-2 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing one year's experience in operating and maintaining photocopying machines. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex – Servicemen:

On deputation/re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having matriculation qualification shall also be considered, and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation consisting of :- 1. Director/ Deputy Secretary (Administration), Cabinet Secretariat – Chairman; 2. Under Secretary (Administration), Cabinet Secretariat – Member; 3. A Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/05/2019-Ad. I.]

INDRANI GUPTA, Director

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

सा. का. नि. 15 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, अपराध रिकार्ड प्रशासन और प्रशिक्षण प्रभाग, समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, अपराध रिकार्ड, प्रशासन और प्रशिक्षण प्रभाग के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, अपराध रिकार्ड, प्रशासन और प्रशिक्षण प्रभाग, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्तियां .—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में' समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जतियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कांस्टेबल	*39 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 3 (21700-69100 रु. वेतन मैट्रिक्स में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामलों में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशक के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे पुलिस अधिकारी, जो नियमित आधार पर सदृश्य पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

			धारण किए हुए हैं, या **वांछनीय :** जिनके पास चालन अनुज्ञप्ति और हल्का तथा भारी मोटर मोटरगाड़ी चलाने का अनुभव हो । **पुनर्नियोजन :** पुनव्यर्वस्थापन, महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सेना में पंद्रह वर्ष सेवा की है और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया है। **वांछनीय :** जिनके पास चालन अनुज्ञप्ति और हल्का तथा भारी मोटर मोटरगाड़ी चलाने का अनुभव हो		

[फा. सं. 33/1/2020- प्रशा.1 (ए)/रा.अ.रि.ब्युरो]

विजय सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd December, 2020

G.S.R. 15 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Crime Records, Administration and Training Division, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2014 in so far as they relate to the post of Constable except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable in the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Crime Records, Administration and Training Division, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Crime Records, Administration and Training Division, Constable, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Constable	* 39 (2020) * Subject to variation dependent on work load	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-3 (Rs. 21700-69100 in the pay matrix)	Not Applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for Ex-Servicemen	By deputation failing which by re-employment of ex-servicemen through Director General of Re-settlement	**Deputation:** Police Officers of the Central Government or State Governments or Union territories, holding analogous posts on regular basis. **Desirable:** Having driving license and experience in driving light and heavy motor vehicles. **Re-employment :** Ex-servicemen having fifteen years of service in the Army, having passed matriculation from a	Not applicable	Not applicable.

			recognised Board, nominated by the Director General of Re-settlement, Ministry of Defence. **Desirable:** Having driving license and experience in driving light and heavy motor vehicles.		

[F.No.33/1/2020-Ad.1(A)/NCRB]

VIJAY SINGH, Dy. Director (Admn.)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 16 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (महा समन्वयन) समूह 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग [विशेष कार्य अधिकारी(महा समन्वयन)] समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष कार्य अधिकारी (महा समन्वयन)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु. 78800 - 209200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- क. (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 11 (67700-208700 रु.) या समतुल्य पदों में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और ख. जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और (ii)विभिन्न बाह्य अभिकरणों अर्थात अस्पताल, अतिथि गृह, विदेश मंत्रालय का प्राधिकरण, स्वागत और प्रोटोकाल इकाई, सुरक्षा सेवा के साथ संपर्क और समन्वय में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 39021 / 04 / 2020 – स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 17th February, 2021

G.S.R. 16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post **of** Officer on Special Duty (Coordination-General) Group 'A' in the Office of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, [Officer on Special Duty (Coordination-General)] Group 'A' Post Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Officer on Special Duty (Coordination-General)	1* (2021) *Subject to Variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation including short-term contract	**Deputation including short-term contract:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised research institution or University or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations; :- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade in posts in level 11 in the pay matrix (Rs 67700-208700/-) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor Degree from a recognised University or Institute; and (ii) shall possess five years' experience in liaisoning and coordination with various external agencies namely hospital, guest house, Ministry of External Affairs' Authorities, reception and protocol units, security services. **Note 1 :** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an Officer on deputation (including short-term contract).

[F.No.39021/04/2020-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.27 12:38:27 +05'30'